# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

**बइजलास– डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस**

राजस्व अपील संख्या –149/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/180

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्दस |
|---|---|---|
| रविन्द्र मांझू पुत्र किशोर चौधरी जाति जाट निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर। | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर वगैरह |

उपस्थितिः–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री मुकेश चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 22/08/2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2022 सरकार बनाम रविन्द्र मांझू में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.05.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.03.2022 को जारी कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नही थी। दिनांक 08.03.2022 को अपीलांट पेशी पर उपस्थित था तथा अपीलांट द्वारा अपना जवाब मय दस्तावेजात दिनांक 21.03.2022 को प्रस्तुत किया, तब अदालत मातहत ने कहा कि इसमें मौके पर जांच करेंगे व नाप चौप भी करवायेंगे, जिसकी जानकारी दे दी जायेगी, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर कोई जांच नहीं की तथा न ही अपीलांट को तारीख पेशी 21.03.2022 को होना बताया तथा बिना अपीलांट को सूचना दिये, बिना सुनवाई किये अपने मनमाने तरीके से तारीख 21.03.2022 की पेशी दर्ज कर निर्णय जेर अपील आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 27.04.2022 को मामला हाजा में जांच करने हेतु मौका पर आने एवं जानकारी करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में गया तो बताया गया कि मामले में तो दिनांक 21.03.2022 को ही पत्रावली का निर्णय कर दिया गया हैं, तब अपीलांट ने उसी वक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया, जिस पर नकल प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश जेर अपील की दिनांक 09.05.2022 को प्राप्त हुई। जिससे अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी जानकारी लेकर आज अविलम्ब ही यह अपील अपीलांट पेश कर रहा है। जो जानकारी से अंदर मियाद है। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपील से संबंधित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दिनांक 01.02.2022 का नोटिस दिया कि कृषि वर्ष 2078 के दौरान नागौर तहसील के ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 265 गैर मुमकिन तालाब क्षेत्रफल 2500 वर्गफुट पर अपीलांट ने कब्जा किया हैं, जिसका जवाब अपीलांट ने दिनांक 21.03.2022 को दिया कि गैर सायल को खसरा नम्बर 265 गैर मुमकिन तालाब मौजा नागौर में 2500 वर्गफुट का अतिक्रमी बताया है जो बिल्कुल ही गलत व झुठा बताया गया है, गेर सायल का खसरा नम्बर 265 पर किसी भी तरह का कोई कब्जा व अतिक्रमण किया हुआ नही हैं, गैर सायल ने किसी भी तरीके से उक्त भूमि पर अवरोध पैदा नही कर रखा है तथा श्रीमानजी के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा बिल्कुल ही झूठी व मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का मौके पर आकर किसी भी तरह की कोई जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की और न ही कोई किसी भी तरह की जांच की गई तथा कार्यालय में बैठे बैठे ही झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार की गई है। गैर सायल द्वारा किसी भी तरह का अतिक्रमण किया हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में गैर सायल के खिलाफ खोली गई कार्यवाही को ड्रॉप किया जाना न्यायोचित है। खरारा नम्बर 206 के पास में ही प्रार्थी के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 264 की आई हुई है तथा गैर सायल ने खसरा नम्बर 265 के किसी भी भू भाग पर किसी भी तरह का कब्जा अतिक्रमण नही किया है । गैर सायल को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से झूठी शिकायत पेश की है और मौके पर बिना कोई जांच किये व बिना कोई मौके पर आये ही बिल्कुल ही झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार कर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में गैर सायल के खिलाफ खोली गई कार्यवाही निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। मौके पर किसी भी तरह का कोई सीमा ज्ञान नहीं किया गया है और न ही कोई किसी तरह की जांच की गई हैं, बिना सीमाज्ञान किये ही व बिना कोई जांच किये ही झूठी शिकायत के आधार पर श्रीमानजी के समक्ष पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिकमी बताते हुए झूठी व मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जबकि खसरा नम्बर 265 गैर मुमकिन तालाब पर गैर सायल द्वारा किसी भी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण नही किया गया हैं, ऐसी स्थिति में गैर सायल के खिलाफ खोली कार्यवाही को ड्रॉप किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। गैर सायल के द्वारा खसरा नम्बर 265 के पश्चिमीतरफ खसरा नम्बर 264 कुल रकबा 12..10 बीघा मौजा नागौर में से प्लोट संख्या 11 का दक्षिणी भाग रकबा 2400 वर्गफुट का पटटा नगर परिषद नागौर से पत्रावली संख्या 54(90क)/2019–20 के द्वारा दिनांक 13.07.2020 को 99 वर्षीय लीज ली गई, जो उप पंजीयक कार्यालय, नागौर में दिनांक 28.07.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1283 पृष्ठ संख्या 19 क्रम संख्या 202003099103468 पर पंजीबद्ध है। उक्त प्लोट का पटटा जारी करने से पूर्व नगर परिषद नागौर द्वारा तहसीलदार नागौर के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, उक्त जांच रिपोर्ट पर तहसीलदार नागौर के द्वारा प्रपत्र संख्या 6 में नगर परिषद नागौर को यह बताया गया है कि यह भूमि खसरा नम्बर 264 के अन्तर्गत ही आती है, इसलिए उक्त भूमि का पटटा गैरसायल के पक्ष में जारी कर दिया जावे तो तहसीलदार नागौर को किसी प्रकार की कोई आपति व उजर एतराज नही है। उक्त प्रपत्र 6 तहसीलदार नागौर व पटवारी हल्का नागौर की मौका एवं जांच रिपोर्ट के अनुसार ही जारी किया जाता हैं जो विधि अनुसार सही एवं सत्य है। खसरा नम्बर 264 रकबा 12.10 बीघा मौजा नागौर में से नामान्तरकरण संख्या 2417 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा गैर सायल के हक में भूखण्ड संख्या 11 का दक्षिणी भाग रकबा 2400 वर्गफुट का खातेदार गैर सायल को माना जाकर उसका नामान्तरकरण दर्ज करते समय तहसीलदार नागौर व पटवारी हल्का नागौर के द्वारा मौका रिपोर्ट व मौके पर कब्जा देखकर ही नामान्तरकरण गैर सायल के हक में दर्ज किया गया था। उसी के आधार पर ही गैर सायल के हक में गैर सायल के द्वारा नगर परिषद नागौर से धारा 90 (क) के तहत उक्त भूमि का पटटा प्राप्त किया गया है। जिससे भी गैर सायल का खसरा नम्बर 265 की भूमि पर अतिक्रमण नही होना स्पष्ट साबित हैं, जिससे गैर सायल के विरूद्ध खोली गई उक्त कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है। फिर भी इन तथ्यो, परिस्थितियो, साक्ष्य,

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

रेकर्ड व दस्तावेजो के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही हाजा में नगरपालिका नागौर द्वारा जारी दस्तावेजो में किसी खसरे का उल्लेख नही होने का उल्लेख नही होना, पूर्व राजस्व अधिकारियो द्वारा अनापति में भी खसरे का उल्लेख नही होने व गैर मुमकिन तालाब की भूमि होने व इस प्रकार उक्त भूमि को धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित मानकर अपीलांट के विरुद्ध बेदखली वजुर्माना रूपये 9 का आदेश जेर अपील पारित कर दिया। आदेश दिनांक 21.03.2022 को जारी कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नही थी। दिनांक 08.03.2022 को अपीलांट पेशी पर उपस्थित था तथा अपीलांट द्वारा अपना जवाब मय दस्तावेजात दिनांक 21.03.2022 को प्रस्तुत किया, तब अदालत मातहत ने कहा कि इसमे मौके पर जांच करेंगे व नाप चौप भी करवायेंगे, जिसकी जानकारी दे दी जायेगी, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर कोई जांच नही की तथा न ही अपीलांट को तारीख पेशी 21.03.2022 को होना बताया तथा बिना अपीलांट को सूचना दिये, बिना सुनवाई किये अपने मनमाने तरीके से तारीख 21.03.2022 की पेशी दर्ज कर निर्णय जेर अपील आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 27.04.2022 को मामला हाजा में जांच करने हेतु मौका पर आने एवं जानकारी करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में गया तो बताया गया कि मामले में तो दिनांक 21.03.2022 को ही पत्रावली का निर्णय कर दिया गया हैं, तब अपीलांट ने उसी वक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया, जिस पर नकल प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश जेर अपील की दिनांक 09.05.2022 को प्राप्त हुई। जिससे अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी जानकारी लेकर आज अविलम्ब ही यह अपील अपीलांट पेश कर रहा है। जो जानकारी से अंदर मियाद है। मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो केविपरीत व दस्तावेजो व मौके की स्थिति के विपरीत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस निम्नानुसार अभिकथन किया :–

1. यह है कि निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियों के विरूद्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद्ध होने व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2. यह है कि अपीलांट ने दिनांक 08.03.2022 को जवाब मय दस्तावेजात के पेश किया तथा निवेदन किया कि अपीलांट का भूखण्ड नगर परिषद नागौर द्वारा विकसित व विक्रय की गई भूमि लीज सुदा भूमि है तथा उसके उपरांत अपीलांट का मकान नोटिस में बताये खसरा नम्बर 265 में भी स्थित नही है तथा अपीलांट का मकान आबादी भूमि खसरा नम्बर 264 जो नगर परिषद की आबादी भूमि दर्ज हैं, में बना हुआ हैं तथा मौके पर सही नाप चौप करने का निवेदन किया, तब अधीनस्थ न्यायालय ने कहा कि मामले की हम जांच करेंगे तथा मौके पर नाप चौप भी सही रूप से करेगे तथा मौके पर आयेंगे। तब अपीलांट को सूचना कर दी जायेगी तथा मौके पर नाप अपीलांट के रूबरू ही किया जायेगा तथा उसके बाद अपीलांट की साक्ष्य हेतु मामला रखा जायेगा। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने न किसी तरह की जांच की तथा न ही मौका पर आये, न नाप चौप किया तथा न ही अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का ही कोई अवसर दिया तथा अपने मन माफिक तरीके से पिछली तिथि अपने मनमाने तरीके से 21.03.2022 दर्शित कर निर्णय जेर अपील पारित कर दिया। जिससे मातहत न्यायालय का निर्णय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं ही किया गया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने से भी स्पष्ट है कि पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर अपीलांट को अतिचारी बताने के लिए एक नक्शा बनाया गया है। उसमे भी न तो पडोस अंकित किये हैं, न किसी भी तरह का नाप चौप अंकित किया हैं तथा अपने मनमाने तरीके से लाईने खींचकर अपीलांट को अतिचारी दर्शित कर दिया तथा न ही पटवारी मौके पर गया, अगर पटवारी हल्का मौके पर जाता तो मौके की स्थिति पर अपीलांट के मकान के चारो तरफ नगरपालिका की विकसित व विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागैर की पूरी आबादी सन 1984–85 से बसी हुई है, उसका ज्ञान होता व रिपोर्ट में मौके की सही स्थिति दर्शित होती। जिसका अपीलांट के जवाब में पूर्ण विवरण व दस्तावेज पेश किये हुए थे। जिनका विवरण भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया, न

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

देखे। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तो के व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध बिना जांच किये होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि मातहत न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया हैं क्योकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही अपीलांट के जवाब का आदेश जेर अपील में विवरण दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, जिससे भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह है कि मातहत न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय हैं, यह निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ हैं, इसमे मात्र खाली स्थानो की पूर्ति के लिए नाम व खसरा नम्बर व जुर्माने का अंकन किया गया हैं, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व में ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड में पूर्ति के लिए यह निर्णय जेर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 21.03.2022 में अधीनस्थ न्यायालय ने लिखा है कि "केवल सीमा ज्ञान ही एक ऐसा आधार है कि उक्त व्यक्ति का कब्जा/अतिक्रमण गैर मुमकिन तालाब पर हैं अथवा नही, अतः पत्रावली निर्णय इस अनुसार की जाती है कि पटवारी हल्का एक बार पुनःसीमा ज्ञान वक्त बेदखली की कार्यवाही कर ले एवं यदि कब्जा तालाब की भूमि पर है तो अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्थान सरकार द्वारा दर्ज तालाब की भूमि पर लागू नही हैं, अतः वेदखल कर दिया जावे।" इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के सामने अपीलांट का अतिक्रमण हैं या नहीं, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट रिपोर्ट नही थी तथा जो पटवारी हल्का अपने चाहे तरीके से एक झुठी व गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दी, उसी का मानकर तथा उसे ही उसके संबंध में तय करने के लिए अधिकृत कर दिया। जो भी न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत है कि शिकायतकर्ता को ही जज बना दिया गया। जो कतई विधि सम्मत नही होने से आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है तथा आदेश जेर अपील अपने आप में निर्णय की तारीफ में भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना बताकर निर्णय जेर अपील पारित किया है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट था कि अपीलांट को जिस भूमिपर अतिचारी बताया जा रहा हैं, उक्त भूमि नगर परिषद नागौर के कब्जे की भूमि है, जहां नगर परिषद नागौर ने जिला प्रशासन व टॉउन प्लॉनर व राज्य सरकार की सहमति से उक्त भूमि पर नगर परिषद नागौर ने कब्जा प्राप्त कर अलग–अलग लोगो को भूमि विकय कर प्लॉन अनुसार अलग–अलग लोगो को स्वीकृती दी गई व प्लॉन अनुसार ही लोगो ने मकान बनाये तथा वैधानिक लीज डीडधारी लोगो ने अपने भवन बनाये, जिससे अपीलांट किसी भी प्रकार से अतिचारी की तारीफ में नहीं आता। अगर उक्त भूमि किसी कारण से आज भी राजकीय भूमि दर्ज रह जाने में अपीलांट की कोई गलती नही है। राज्यकर्मचारियो की गलती, सजा अपीलांट को किसी भी तरीके से नहीं दी जा सकती, जिससे भी धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत मामला किसी भी तरीके से नही बनाया जा सकता। जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट की अपील अंदर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 26/2022 बअनवान सरकार बनाम रविन्द्र मांजू में आदेश दिनांक 21.03.2022 को खारिज किया जावे।

वकील अपीलांट द्वारा फहरिस्त मय दस्तावेज में माननीय राजस्थान उच्च न्यायाल,जोधपुर S.B.Civil Writ Petition No. 17507/2022 आदेश दिनांक 21.11.2022 एवं सिविल न्यायालय के प्रकरण संख्या 87/2022 की आदेशिका दिनांक 02.11.2022 की प्रति एवं प्रार्थना–पत्र की प्रति पेश की है।

राजपैरोकार ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का सार्वजनिक तालाब की भूमि पर अतिक्रमण है, जो पटवारी रिपोर्ट से साबित होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत अपील मीमो एवं उनके साथ पेश किये गये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र के तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट अन्यद मयाद शुमार की जाती हैं।

पत्रावली का एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी(भू) अभिलेख पटवार मण्डल,नागौर एवं निरीक्षक भू अभिलेख,नागौर द्वारा तहसीलदार,नागौर को पेश की दफा 91 आर.एल.आर.एक्ट की कार्यवाही में श्री रविन्द्र मांजू द्वारा खसरा नम्बर 265 रकबा 2500 व.मी. किस्म भूमि गै0मु0 तालाब पर चार दिवारी के जरिऐ नाजायज कब्जा की रिपोर्ट पेश की हैं। तहसीलदार,नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.2022 में यह अंकित किया हैं कि तालाब की भूमि पर कब्जा करके किसी भी प्रकार से पट्टा हासिल करके उस कब्जे को वैध नहीं ठहराया जा सकता हैं। केवल सीमाज्ञान ही एक ऐसा आधार हैं जो स्पष्ट करता हैं कि उक्त व्यक्ति का कब्जा/अतिक्रमण गै0मु0 तालाब पर हैं या नहीं । अतः पत्रावली निर्णय इस अनुसार की जाती हैं कि पटवारी हल्का एक बार पुनः सीमाज्ञान वक्त बेदखली की कार्यवाही कर ले एवं यदि तालाब की भूमि में हैं तो अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्थान सरकार के नाम दर्ज तालाब की भूमि पर लागू नहीं हैं। अतः बेदखल कर दिया जावें।" इसी शर्त पर तहसीलदार,नागौर द्वारा गैर सायल के विरूद्व भौतिक बेदखली एवं जुर्माना का आदेश पारित किया हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य रूप से यह तर्क हैं कि उनका प्लॉट संख्या 11 क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट नगरपरिषद्,नागौर से पट्टा सुदा हैं,जिसके समर्थन मे उन्होने पट्टा विलेख पत्रावली संख्या 54(90क)2019–20 एवं उसके साथ ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रमाणित प्रति पेश की हैं।

इस प्रकरण में मुख्य बिन्दू यह हैं कि पटवारी हल्का,नागौर द्वारा तहसीलदार,नागौर को प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट में गैर सायल का खसरा नम्बर 265 गै0मु0 तालाब की भूमि पर चार दिवारी बनाकर कब्जा करना बताया गया हैं,जबकि गैर सायल(अपीलांट) का कथन हैं कि उनका प्लाट व कब्जा खसरा नम्बर 265 में नहीं होकर खसरा नम्बर 264 आबादी भूमि में हैं। इस बिन्दू को तय करने के लिए आदेशिका दिनांक 04.04.2023 से तहसीलदार,नागौर को रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2023/1402 दिनांक 13.07.2023 का अवलोकन किया गया । इस पत्र में तहसीलदार, नागौर ने यह स्पष्ट अंकन किया हैं कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन अपीलीय प्रकरण रविन्द्र मांझू बनाम सरकार में आदेशिका दिनांक 04.04.2023 में चाही गई रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक नागौर व पटवारी हल्का, नागौर से ली गई जिसके अनुसार कार्यालय हाजा के आदेश कमांक/राजस्व/2023/543 दिनांक 16.02.2023 से टीम का गठन कर खसरा नम्बर 265,267 की सीमांकन रिपोर्ट चाही गयी। टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलार्थी के भूखण्ड को कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 265 गै0मु0 तालाब की भूमि में होना बताया। प्रासंगिक पत्र के अनुसार प्रकरण का राजस्व रिकार्ड के अनुसार परीक्षण किया गया,जिसमें रविन्द्र मांझू का भूखण्ड संख्या 11 कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 265 गै0मु0 तालाब की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा के रूप में स्थित हैं। रविन्द्र की जायगा खसरा नम्बर 264 में स्थित नहीं हैं। इस पत्र के साथ प्राप्त फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.03.2023 का अवलोकन किया गया,इस रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 3 में यह उल्लेख किया गया हैं कि अपीलांट श्री रविन्द्रमांझू अपील संख्या 149/2022 की भूमि व कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 265 रकबा 1.007 हैं. किस्म गै0मु0 तालाब राजकीय भूमि में स्थित हैं।

इस प्रकार उपरोक्त रिर्पोटो से यह भली भांति प्रकट हैं कि अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 265 राजकीय भूमि गै0मु0 तालाब की भूमि पर हैं,सार्वजनिक जनहित की एवं धारा 16 आर.टी.एक्ट. में वर्जित भूमि होने से इस प्रकार की भूमि पर अपीलांट को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं न ही हुवें हैं। अपीलांट द्वारा उनका कब्जा खसरा नम्बर 265 की भूमि पर अधिकार स्वरूप होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं एवं तहसीलदार,नागौर के निर्णय दिनांक 21.03.2022 में कोई विधिकत्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

कलक्टर नागौर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार, नागौर को आदेशित किया जाता है कि वे अपने निर्णय (न्यायालय तहसीलदार,नागौर के निर्णय दिनांक 21.03.2022) की पालना के समय माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय एवं सिविल न्यायालय के आदेशों की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर नागौर